फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **नन्दलाल वगैरह** | विपक्षी :– **ख्यालीलाल वगैरह**

किस्म मुकदमा :– 131, 133 एल.आर.एक्ट | पत्रावली संख्या :– **167/25 विविध**

जीसीएमएस नम्बर :– **2025/572**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 10.03.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी संख्या 1, 3/1, 4 के नोटिस अखबार में छाया करवाकर अखबार की प्रति पेश की गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी. पर बहस सुनी गई। न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी. स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 3 फौत के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। विपक्षी संख्या 1, 3/1, 4 को निरन्तर आवाजे दिलवाई गई। अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए जा चुके है। प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र बहस का निवेदन किया गया। बहस सुनी गई। राजपैरोकार तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के आदेश क्रमांक 354/83 दिनांक 23.02.1983 से ग्राम विठोली के खसरा नम्बर 452 में से 5 बीघा श्री मन्नालाल पिता त्रिलोकचन्द ब्राम्हण के नाम गैरखातेदारी हक से जरिये नामान्तरण संख्या 187 दर्ज की गई। जिसके नवीन खसरा नम्बर 1655/455 रकबा 0.8094 हैक्टेयर विरासत से खातेदार श्री ख्यालीलाल, चुन्नीलाल, प्रेमशंकर, फतेहलाल पिता मन्नालाल ब्राम्हण सा. विठोली खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। नामान्तरण संख्या 187 पर उक्त भू–भाग का नक्शा चस्पा है जिसकी नकल सलंग्न है। लट्ठा शीट नक्शे में इसी अनुरूप तरमीम की हुई है किन्तु भू. नक्शा बटरशीट में तरमीम इस अनुरूप नहीं होकर गलत की हुई है। ग्राम विठोली के खसरा नम्बर 1652/452 रकबा 0.6475 हैक्टेयर में से 0.0512 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1648/452 रकचा 0.8094 हैक्टेयर में से 0.0896 हेक्टेयर, एवं खसरा नम्बर 1843/452 रकबा 5.0736 हैक्टेयर में से 0.2368 हैक्टेयर मौके पर खेमली से खाम की मादड़ी जाने वाली सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग ... बनाई हुई है। जिसे सलंग्न नक्शा ट्रेस में हरी स्याही ... किया गया है। ग्राम विठोली के वर्तमान खसरा नम्बर 1655/455 रकबा 0.8094 हेक्टेयर ... नकल	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rameshwar Singh Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:19 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा लट्ठा अनुसार तरमीम सही करने तथा खसरा नम्बर 1652/452, 1648/452 एवं 1843/452 में बनी हुई खेमली से खाम की मादड़ी जाने वाली सड़क को डोटेड लाईन से हरी स्याही से दर्शाते हुए प्रस्तावित नक्शा ट्रेस सलंग्न है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ भू.अभिलेख निरीक्षक वृत घासा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, मौका पर्चा, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी नकल, नामान्तरण की प्रतियां, आदेशों की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम विठोली पटवार हल्का रख्यावल तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 159 पर दर्ज आराजी नम्बर 1655/452 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज है। उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 4 के पिता मनालाल को आवंटन से प्राप्त हुई। जो नामान्तकरण संख्या 187 आवंटन के आधार पर पारित कर विपक्षी संख्या 1 से 4 के पिता के नाम दर्ज की गई। आवंटन के अनुसार उक्त भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में की गई। इसी प्रकार आराजी नम्बर 1652/452 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा आराजी नम्बर 1648/452 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज है। आराजी नम्बर 1655/452, 1652/452, 1648/452 का साबिक नक्शे की प्रमाणित प्रति तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार आराजी नम्बर 1655/452 एवं 1843/452 के मध्य अन्य आराजीयात की भूमि दर्ज है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 1842/452 किस्म रास्ता साबिक नक्शे अनुसार 1677/1656, 1656/452 के उत्तर दिशा में आगे तक तरमीम की गई है। सेग्रीगेशन के दौरान तैयार किया गया हाल नक्शे में आराजी नम्बर 1655/452 एवं आराजी नम्बर 1843/452 के मध्य स्थित अन्य भूमि को विलोपित कर दोनो की सीमा एकसाथ कर दी गई तथा रास्ते की आराजी नम्बर 1842/452 को भी आराजी नम्बर 1677/1656 के उत्तर दिशा तक ही तरमीम की गई। जबकि उक्त रास्ता साबिक नक्शे में आगे तक तरमीम था। इसी प्रकार आराजी नम्बर 1656/452 एवं 1652/452 के मध्य अन्य आराजीयात की भूमि दर्ज थी। जिसको भी आराजी नम्बर 1655/452 में शामिल कर दिया गया। अर्थात आराजी नम्बर 1842/452 व आराजी नम्बर 1655/452 की तरमीम सेग्रीगेशन के दौरान साबिक नक्शे अनुसार तरमीम नही कर अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:19 IST
Reason: SelfAttested

मनमुताबिक तरमीम कर दी गई एवं आराजी नम्बर 1655 का रकबा जमाबंदी अनुसार 0.8094 हैक्टेयर ही बनता है परन्तु नक्शे में तरमीम अधिक भू–भाग पर की जाकर नक्शे में रकबा अधिक दर्ज कर दिया गया।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि सेग्रीगेशन के दौरान जमाबंदी एवं राजस्व नक्शे को ऑनलाईन किया जाना था। जिसमे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही किया जाना था अर्थात साबिक जमाबंदी एवं साबिक नक्शे अनुसार ही ऑनलाईन किया जाना था। साथ ही जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार ही साबिक नक्शे के आधार पर सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व नक्शा तैयार किया जाना था। परन्तु इस प्रकरण में तरमीम गलत कर देने से आराजीयात का रकबा कम ज्यादा अंकित हो गया जो कि न्यायोचित नही है। वैसे भी राजस्व कर्मचारियो को अपने मनमुताबिक तरमीम करने का अधिकार नही है। इस कारण से साबिक नक्शा के अनुसार हाल राजस्व नक्शे में तरमीम नही करने से उक्त त्रुटि चली आ रही है। जिसे तहसीलदार घासा द्वारा भी स्वीकार किया गया। तहसीलदार घासा द्वारा प्रकरण में वर्णित आराजीयात का साबिक नक्शे अनुसार तरमीम कर प्रस्तावित नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत किया है। अतः साबिक नक्शा अर्थात प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम विठोली पटवार हल्का रख्यावल तहसील घासा की आराजी नम्बर 1655/452, 1842/452 की तरमीम साबिक नक्शा/प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:19 IST
Reason: SelfAttested